email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन / फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक – 788/12-1, दिनांक, मुनिकीरेती 25/ 11 /2020,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी, शिवपुरी राजि में उपखनिज चुगान कार्यो हेतु 190.00 हे0 वन विकास निगम को 10 वर्षो की अवधि के लिये अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UK/MIN/46859/2020)

सन्दर्भ :– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरती का पत्रांक 1431/12–1 दिनांक 23–11–2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर आपके द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरती द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	Undertaking to bear the cost of Compensatroy Afforestation.	बिन्दु संख्या–01 के अनुपालन में वन विकास निगम द्वारा प्रस्तावित परियोजना के सापेक्ष 380.00 हे0 में होने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण का व्यय वहन किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक–01)
2	Undertaking for non use of the hevey machinery for the mining.	बिन्दु संख्या–02 के अनुपालन में वन विकास निगम द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेवी मशीनों का प्रयोग नही किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक–02)
3	Undertaking for no work during monsoon season.	बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन में वन विकास निगम द्वारा मानसून सीजन में प्रस्तावित स्थल से उपखनिज का चुगान नहीं किया जायेगा अस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक–03)
4	As per the DSS, it is fund that the project site is falling within 10 km range of the Eco-Sensitive Zone of the Rajaji National park, therefore, the status regarding approval of wildlife Clearance my by Iformed accordingly.	बिन्दु संख्या–04 के अनुपालन में वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय राजाजी नेशनल पार्क / ईको सेन्सटिव जोन के 10 किमी0 के भीतर पडने के कारण उक्त प्रस्ताव में वन्यजीव क्लीयरेन्स हेतु प्रस्ताव राज्य वन्य जीव बोर्ड से अनुमोदित करवाकर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया है, राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा अनुमोदित पत्र की छाया प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक–04)
5	As per the DSS analysis, out of 190.00 Ha. proposed forest land about 1 Ha. is VDF and 31.00 ha is MDF.	बिन्दु संख्या–05 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपखनिज चुगान हेतु चयनित स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि उपखनिज हेतु चयनित हेतु क्षेत्र में कहीं–कहीं पर घनी कंटीली झाडियाँ पायी गयी है उक्त क्षेत्र में VDF एव MDF वन क्षेत्र नही है। जिसके क्रम में प्रस्तावित स्थल VDF अथवा MDF न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी प्रति

		सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी प्रति भाग–02 के एडिशनल कॉलम में अपलोड करते हुये मूल प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक–05)
6	A Certitificate conveying that no plantation/afforestation has been taken up in the past under amy scheme/plan in the proposed site for CA.	बिन्दु संख्या–06 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित अवनत वन भूमि में पूर्व में किसी योजना के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण/वनीकरण नही किया गया है, इस आशय का प्रमाण–पत्र की प्रति भाग–02 के एडिशनल कॉलम में अपलोड करते हुये मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–06)
7	Out of 380.00 Ha. CA area following areas are found VDF and MDF	बिन्दु संख्या–07 के अनुपालन में अवगत कराना है कि जिलली, खनाना–02, पट्डी–01अ, पट्डी–02 सौड़ एवं बारगुरू अवनत वन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्रों में से 4.00 हे0 VDF एवं 56.00 हे0 MDF क्षेत्र कुल 60 हे0 क्षेत्र को कम करते हुयें गूल्ल्रगाड–06 अवनत वन भूमि में 60.00 का नया क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर क्षतिपूरक वनीकरण के जी0आई0एस0 मैप एवं टोपोशीट मैप एवं के0एम0एल0 फाईल भाग–02 में यथा स्थान पर अपलोड करते हुये मूल प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक–07)

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक

संख्याः (1)/उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक

कार्यालय उप वन संरक्षक, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 1431 /12–1 दिनांक 23 / 11 /2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी, शिवपुरी राजि में उपखनिज चुगान कार्यो हेतु 190.00 हे0 वन विकास निगम को 10 वर्षो की अवधि के लिये अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UK/MIN/46859/2020)

सन्दर्भ :– भारत सरकार के पत्रांक–8–18/2020–एफ0सी0 दिनांक 27–09–2020 से इंगित कमियों के निरकाण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित कमियों का विन्दुवार आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक–701/ दिनांक 11–11–2020 जो इस कार्यालय को 20–11–2020 को प्राप्त हुई है, से प्रेषित की गयी है जो निम्नवत् है।

क0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	Undertaking to bear the cost of Compensatroy Afforestation.	बिन्दु संख्या–01 के अनुपालन में वन विकास निगम द्वारा प्रस्तावित परियोजना के सापेक्ष 380.00 हे0 में होने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण का व्यय वहन किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक–01)
2	Undertaking for non use of the hevey machinery for the mining.	बिन्दु संख्या–02 के अनुपालन में वन विकास निगम द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेवी मशीनों का प्रयोग नही किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक–02)
3	Undertaking for no work during monsoon season.	बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन में वन विकास निगम द्वारा मानसून सीजन में प्रस्तावित स्थल से उपखनिज का चुगान नहीं किया जायेगा अस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक–03)
4	As per the DSS, it is fund that the project site is falling within 10 km range of the Eco-Sensitive Zone of the Rajaji National park, therefore, the status regarding approval of wildlife Clearance my by Ifromed accordingly.	बिन्दु संख्या–04 के अनुपालन में वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय राजाजी नेशनल पार्क/ईको सेन्सटिव जोन के 10 किमी0 के भीतर पडने के कारण उक्त प्रस्ताव में वन्यजीव क्लीयरेन्स हेतु प्रस्ताव राज्य वन्य जीव बोर्ड से अनुमोदित करवाकर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया है, राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा अनुमोदित पत्र की छाया प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, (संलग्नक–04)
5	As per the DSS analysis, out of 190.00 Ha. proposed forest land about 1 Ha. is VDF and 31.00 ha is MDF.	बिन्दु संख्या–05 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपखनिज चुगान हेतु चयनित स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि उपखनिज हेतु चयनित हेतु क्षेत्र में कहीं–कहीं पर घनी कंटीली झाडियॉ पायी गयी है उक्त क्षेत्र में VDF एव MDF वन क्षेत्र नही है।

		जिसके क्रम में प्रस्तावित स्थल VDF अथवा MDF न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी प्रति भाग–02 के एडिशनल कॉलम में अपलोड करते हुये मूल प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, **(संलग्नक–05)**
6	A Certitificate conveying that no plantation/afforestation has been taken up in the past under amy scheme/plan in the proposed site for CA.	**बिन्दु संख्या–06 के** अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित अवनत वन भूमि में पूर्व में किसी योजना के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण/वनीकरण नही किया गया है, इस आशय का प्रमाण–पत्र की प्रति भाग–02 के एडिशनल कॉलम में अपलोड करते हुये मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–06)**
7	Out of 380.00 Ha. CA area following areas are found VDF and MDF	**बिन्दु संख्या–07 के** अनुपालन में अवगत कराना है कि जिलली, खनाना–02, पट्डी–01अ, पट्डी–02 सौड़ एवं बारगुरू अवनत वन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्रों में से 4.00 हे0 VDF एवं 56.00 हे0 MDF क्षेत्र कुल 60 हे0 क्षेत्र को कम करते हुयें गूल्ल्रगाड–06 अवनत वन भूमि में 60.00 का नया क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर क्षतिपूरक वनीकरण के जी0आई0एस0 मैप एवं टोपोशीट मैप एवं के0एम0एल0 फाईल भाग–02 में यथा स्थान पर अपलोड करते हुये मूल प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, **(संलग्नक–07)**

संलग्न–यथोपरि :–

भवदीय

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 1431 / **दिनांकित।**

प्रतिलिपि :– प्रभागीय लौगिग प्रबन्धक, (खनन) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, वन परिसर, चन्द्रबनी रोड देहरादून को उनके पत्रांक–701/ दिनांक 11–11–2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

<u>परियोजना का नामः– चन्द्रभागा नदी 190.00 है0 में उपखनिज चुगान कार्य</u>

<u>क्षतिपूरक वृक्षारोपण के व्यय का वहन करने का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी 190.00 है0 में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के सापेक्ष होने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण के व्यय का वहन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

(शेर सिंह)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम

परियोजना का नामः– चन्द्रभागा नदी 190.00 है0 में उपखनिज चुगान कार्य

खनन कार्य में भारी मशीनरी का प्रयोग न करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी, 190.00 है0 में नदीतल से उपखनिजों को निकालने के लिये किसी भी प्रकार के मशीनरी का प्रयोग नही किया जायेगा। नदीतल से उपखनिजों को निकालने के लिये श्रमिकों द्वारा हाथ के औजारों (गैंती, फावड़ा, सब्बल, बैल्चा आदि) का ही प्रयोग किया जायेगा।

(शेर सिंह)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

परियोजना का नामः– चन्द्रभागा नदी 190.00 है0 में उपखनिज चुगान कार्य

मानसून सत्र में कार्य न करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी, 190.00 है0 में मानसून सत्र में किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(शेर सिंह)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून

संख्या– / X-2-2020-19(24)2020

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर महानिदेशक (वन्य जीव),
स्टैण्डिंग कमेटी, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

देहरादूनः दिनांक 31 अगस्त, 2020

वन अनुभाग–2

विषय–उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी राजि के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी तल से चुगान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी राजि के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी तल से चुगान के सम्बन्ध में प्रस्ताव को उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 29 जून, 2020 में विचारार्थ रखा गया था, सम्यक विचारोपरांत राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद द्वारा इस प्रकरण को राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार परिषद के विचारार्थ रखे जाने हेतु अनुमोदित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

2– अतः उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद की उक्त सहमति के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–608/12-1, दिनांक 21.08.2020 द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र/भाग–05 पर अनुमोदन के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से राज्य सरकार को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या–1699 / X-2-2020-19(24)2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 29 जून 2020 को सम्पन्न उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक मा0 मुख्यमंत्री, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी की अध्यक्षता एवं डा0 हरक सिंह रावत, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री की उपस्थिति में सम्पन्न हुयी। बैठक में बोर्ड के सम्मानित मा0 सदस्यगण, मा0 मुख्य सचिव व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। (उपस्थिति विवरण संलग्न—क)।

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, वन द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी व प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा मा0 वनमंत्री जी व प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा मा0 मुख्य सचिव का स्वागत किया गया। स्वागत किये जाने के उपरांत मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक के एजेण्डे पर प्रकाश डाला गया।

सर्वप्रथम दिनांक 26 नवम्बर 2019 को आयोजित बैठक के प्रस्तावों पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई।

एजेण्डा सं0 1—क.

(क) कॉर्बेट टाईगर रिजर्व व राजाजी टाईगर रिजर्व में बाघों व जंगली हाथियों की धारण क्षमता का निर्धारण।

अवगत कराया गया कि कॉर्बेट टाईगर रिजर्व व राजाजी टाईगर रिजर्व में बाघों व जंगली हाथियों की धारण क्षमता के निर्धारण के अध्ययन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाय।

(ख) संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उपयुक्त वन क्षेत्रों में एंगलिंग हेतु अनुमति दिये जाने संबंध में।

बोर्ड द्वारा पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) से यह अपेक्षा की गयी कि उनके द्वारा एंगलिंग पर रोक संबंधी जारी किये गये आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाय एवं प्रगति से आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाय।

एजेण्डा सं0 1—ख:— उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 14 वीं बैठक जो 26 नवम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत एवं संरक्षित क्षेत्रों के 10 कि0मी0 परिधि में आने वाले वन भूमि हस्तान्तरण एवं अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित हैं, की

5–जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश लाल पानी कक्ष संख्या–1 में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, निस्तारण एवं प्रोसेसिंग प्लान्ट हेतु 10 है0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु नगर निगम को लीज पर दिये जाने के संबंध में।	मुख्य नगर आयुक्त ऋषिकेश	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
6--उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जनपद नैनीताल के तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र की नदी तल कोसी--दाबका भाग--2 नदी से उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
7–उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी राजि के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र की नदी तल निहाल से उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
8–उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के शिवपुरी राजि के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी तल से उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा सं0 4— अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:—

(क) वन्य जीव संरक्षण की धारा 7 (2) के अन्तर्गत राज्य वन्यजीव बोर्ड को कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मा0 वन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्टैण्डिंग कमेटी गठित कर ली जाय, जिसके सदस्य सचिव मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक होंगे एवं प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी। इस स्टैण्डिंग कमेटी के अन्य सदस्यों को नामित करने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

(ख) राजाजी टाईगर रिजर्व के निर्माणाधीन कन्जरवेशन प्लान को आगामी तीन माह में अन्तिम रूप देकर शासन के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाय।

बैठक के अंत में सदस्य सचिव/प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, श्री राजीव भरतरी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री, मा0 वनमंत्री, मुख्य सचिव तथा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों व बैठक में उपस्थित अधिकारी गणों का बैठक में प्रतिभाग करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(राजीव भरतरी) 30/6/20
सदस्य सचिव,
राज्य वन्यजीव परिषद्, उत्तराखण्ड/
प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

Approved

(आनन्द वर्द्धन)
प्रमुख सचिव
वन एवं पर्यावरण, आबकारी
उत्तराखण्ड शासन।

परियोजना का नामः— जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान कार्यो हेतु 190.00 हे0 वन भूमि वन विकास निगम लि0 को 10 वर्षो की अवधि हेतु अमुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव।

उप खनिज हेतु प्रस्तावित चन्द्रभागा नदी का क्षेत्र VDF अथवा MDF क्षेत्र न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नरेन्द्रगर वन प्रभाग के शिवपुरी राजि के अन्तर्गत उपखनिज हेतु चयनित 190 है0 वन भूमि का दिनांक 07/11/2020 को पुनः उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग उप वन प्रभाग, सम्बन्धित राजि अधिकारी, श्रीमती स्पर्श काला, एवं स्थानीय कर्मचारियों के साथ निरीक्षण के उपरान्त संज्ञान में आया है कि उपखनिज हेतु चयनित क्षेत्र में कही भी VDF अथवा MFD क्षेत्र नही है, उपखनिज हेतु चयनित सम्पूर्ण क्षेत्र नदी तल है, जिसमें कहीं—कहीं पर घनी झाडियॉ पायी गयी है, जिसें DSS में देखने पर MDF क्षेत्र प्रतीत होता है।

राजि अधिकारी
शिवपुरी राजि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती
नरेन्द्रनगर

परियोजना का नामः— जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान कार्यो हेतु 190.00 हे0 वन भूमि वन विकास निगम लि0 को 10 वर्षो की अवधि हेतु अमुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 380 हे0 वन भूमि में किसी भी योजना/योजना के तहत पूर्व में कोई वृक्षारोपण/वनीकरण न करने का प्रमाण—पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि चन्द्रभागा नदी में 190.00 हे0 में उपखनिज चुगान के सापेक्ष नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित डाग्यू कक्ष संख्या—02 (20.00 हे0), देवप्रयाग कक्ष संख्या—2अ (40.00 हे0), दुरोगी कक्ष संख्या—01(30.00 हे0), कनफूलाखाल ब्लॉक (10.00 हे0), तुगटा ब्लॉक (20.00 हे0), बारगुरू ब्लॉक (15.00 हे0), मरोड़ा कक्ष संख्या—12 (20.00 हे0), त्यूणा कक्ष संख्या—01 (20.00 हे0), खन्सी ब्लॉक (20.00 हे0), लक्षमोली कक्ष संख्या—01 (20.00 हे0), खनाना कक्ष संख्या—02 (23.00 हे0), जिजली कक्ष संख्या—02 (10.00 हे0), पटुडी कक्ष संख्या—02 (12.00 हे0), सौड़ (40.00 हे0),गूल्लरगाड कक्ष संख्या—03 (20.00 हे0), एवं गूल्लरगाड—06 (60.00 हे0), कुल 390.00 हे0 अवनत वन भूमि में किसी भी योजनाओं के तहत पूर्व में कोई वृक्षारोपण/वनीकरण नही किया गया है।

राजि अधिकारी
शिवपुरी राजि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती
नरेन्द्रनगर

जियोरेफेरेन्स मैपः— चन्द्रभागा नदी 190 है0 के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतू चयनित स्थल (60 है0) का मानचित्र

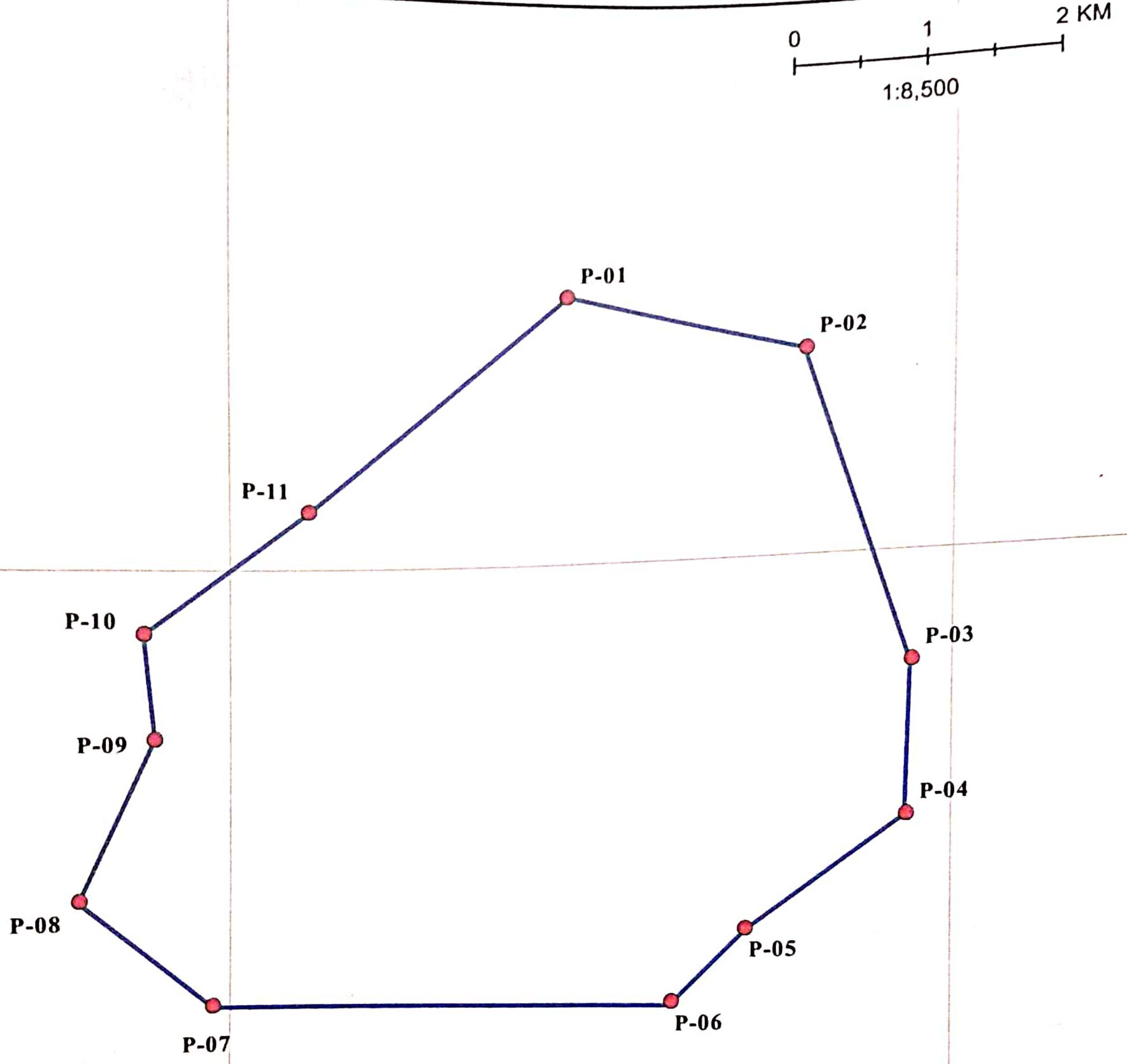

Sl. No.	Longitude	Latitude
P-01	78° 26' 43.845" E	30° 13' 11.304" N
P-02	78° 26' 53.874" E	30° 13' 08.756" N
P-03	78° 26' 58.380" E	30° 12' 55.370" N
P-04	78° 26' 58.220" E	30° 12' 48.850" N
P-05	78° 26' 51.631" E	30° 12' 44.211" N
P-06	78° 26' 48.589" E	30° 12' 41.195" N
P-07	78° 26' 29.300" E	30° 12' 41.650" N
P-08	78° 26' 23.910" E	30° 12' 46.290" N
P-09	78° 26' 26.930" E	30° 12' 53.010" N
P-10	78° 26' 26.540" E	30° 12' 57.410" N
P-11	78° 26' 33.170" E	30° 13' 02.440" N

उप प्रभागीय वनाधिकारी
([illegible])
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर

Proposed Plantation Site

Site GPS

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी रेंज
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

डिजिटल मैपः– चन्द्रभागा नदी 190 है0 के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतू चयनित स्थल (60 है0) का मानचित्र

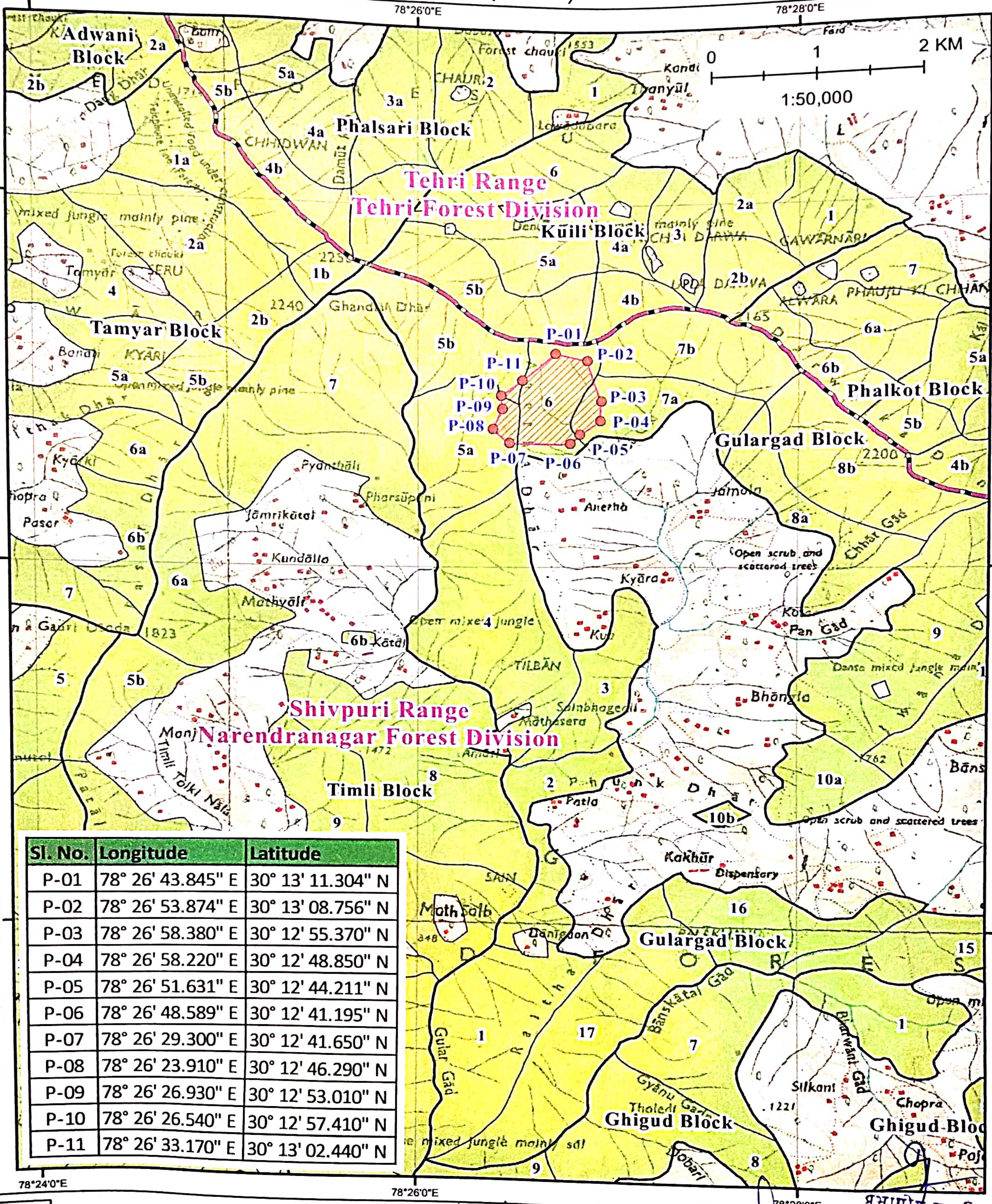

Sl. No.	Longitude	Latitude
P-01	78° 26' 43.845" E	30° 13' 11.304" N
P-02	78° 26' 53.874" E	30° 13' 08.756" N
P-03	78° 26' 58.380" E	30° 12' 55.370" N
P-04	78° 26' 58.220" E	30° 12' 48.850" N
P-05	78° 26' 51.631" E	30° 12' 44.211" N
P-06	78° 26' 48.589" E	30° 12' 41.195" N
P-07	78° 26' 29.300" E	30° 12' 41.650" N
P-08	78° 26' 23.910" E	30° 12' 46.290" N
P-09	78° 26' 26.930" E	30° 12' 53.010" N
P-10	78° 26' 26.540" E	30° 12' 57.410" N
P-11	78° 26' 33.170" E	30° 13' 02.440" N

Forest Division Boundary — *Site GPS*
Forest Block Boundary
Reserve Forest Area
Proposed Plantation Site

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी रेंज
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

डिजिटल मैपः— चन्द्रभागा नदी 190 है0 के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतू चयनित स्थल (60 है0) का मानचित्र

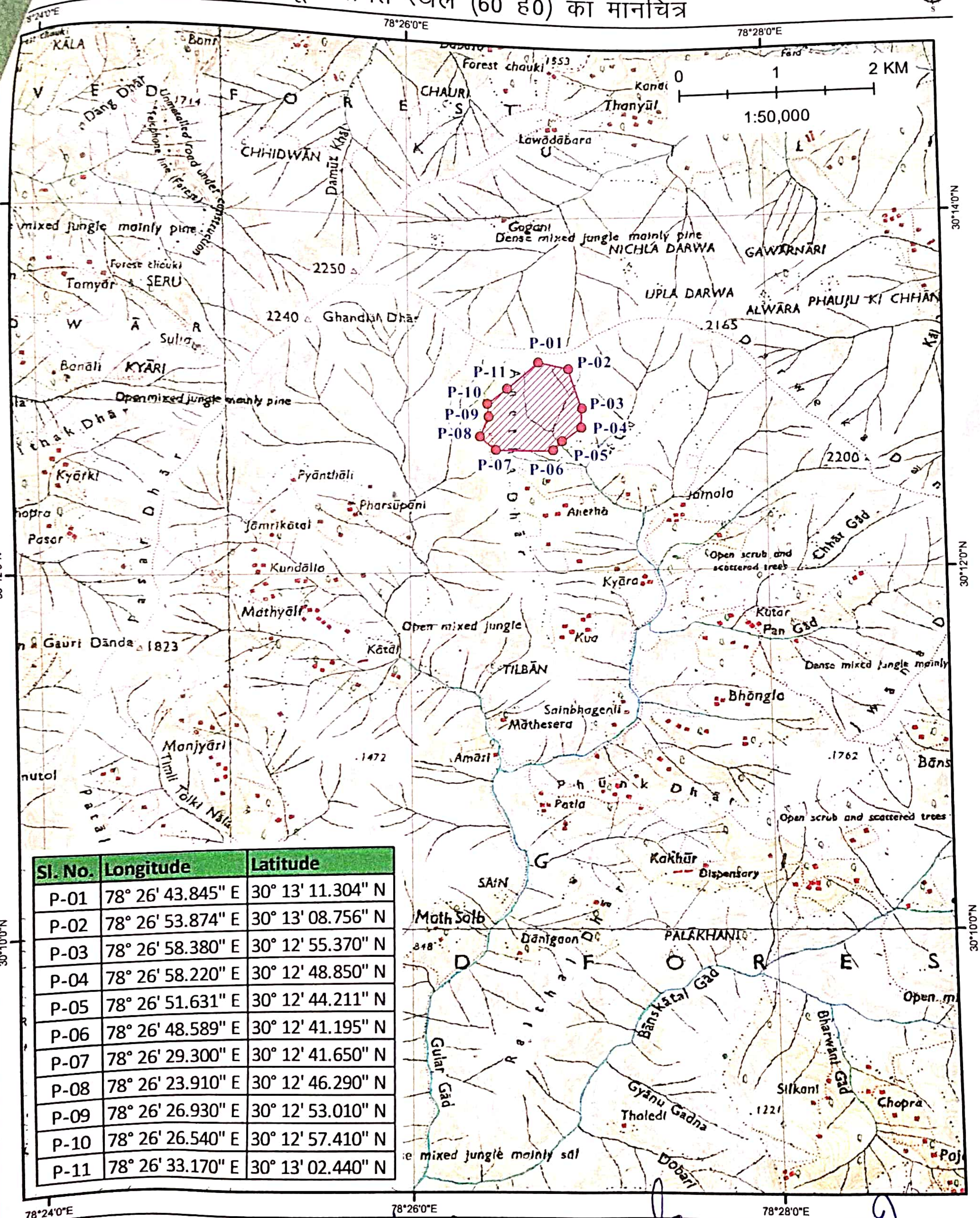

Sl. No.	Longitude	Latitude
P-01	78° 26' 43.845" E	30° 13' 11.304" N
P-02	78° 26' 53.874" E	30° 13' 08.756" N
P-03	78° 26' 58.380" E	30° 12' 55.370" N
P-04	78° 26' 58.220" E	30° 12' 48.850" N
P-05	78° 26' 51.631" E	30° 12' 44.211" N
P-06	78° 26' 48.589" E	30° 12' 41.195" N
P-07	78° 26' 29.300" E	30° 12' 41.650" N
P-08	78° 26' 23.910" E	30° 12' 46.290" N
P-09	78° 26' 26.930" E	30° 12' 53.010" N
P-10	78° 26' 26.540" E	30° 12' 57.410" N
P-11	78° 26' 33.170" E	30° 13' 02.440" N

Proposed Plantation Site

Site GPS

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी रेंज
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी प्रभाग
नरेन्द्रनगर
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

गूगल मैपः— चन्द्रभागा नदी 190 है0 के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतू चयनित स्थल (60 है0) का मानचित्र

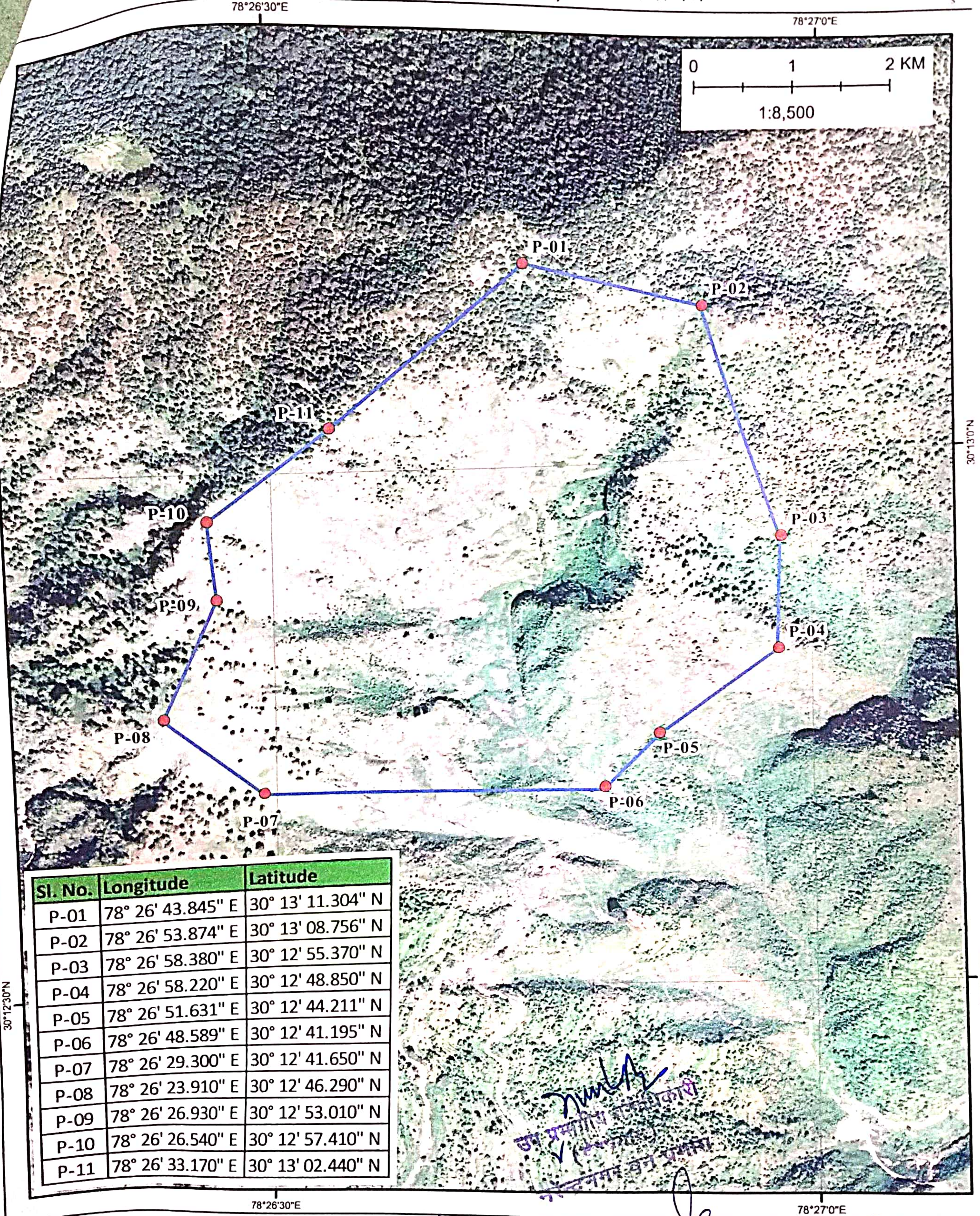

Sl. No.	Longitude	Latitude
P-01	78° 26' 43.845" E	30° 13' 11.304" N
P-02	78° 26' 53.874" E	30° 13' 08.756" N
P-03	78° 26' 58.380" E	30° 12' 55.370" N
P-04	78° 26' 58.220" E	30° 12' 48.850" N
P-05	78° 26' 51.631" E	30° 12' 44.211" N
P-06	78° 26' 48.589" E	30° 12' 41.195" N
P-07	78° 26' 29.300" E	30° 12' 41.650" N
P-08	78° 26' 23.910" E	30° 12' 46.290" N
P-09	78° 26' 26.930" E	30° 12' 53.010" N
P-10	78° 26' 26.540" E	30° 12' 57.410" N
P-11	78° 26' 33.170" E	30° 13' 02.440" N

Proposed Plantation Site

Site GPS

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी रेंज
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर